



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 2011/वैशाख 8, 1933

No. 87]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2011/VAISHAKHA 8, 1933

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2011

सं. एपीडा/प्रशासन/आईसी/25/2011.—कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में समूह क, ख, ग, और घ के पदों पर भर्ती के तरीके को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) संशोधित 2011 विनियम 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रारंभिक संगठन

सभी वर्तमान नियमित अधिकारी एवं कर्मचारी जिनको इन विनियमों के तहत नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, इन विनियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और नियमित आधार पर उनकी सेवा की परीक्षा, पुष्टि और प्रोन्नति के प्रायोजनों के लिए गिनती में लिया जाएगा।

3 परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (i) "अधिनियम" से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) अभिप्रेत है;
- (ii) "नियुक्ति" के अंतर्गत सीधी भर्ती, प्रोन्नति द्वारा और किसी अन्य विहित माध्यम से नियुक्ति अभिप्रेत है;

- (iii) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एपीडा के अध्यक्ष
 (iv) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

“नियुक्ति प्राधिकारी”

- (i) महाप्रबंधक के स्तर तक सभी पद जिनके ग्रेड वेतन 7600/-रु से अधिक न हो-अध्यक्ष
 (ii) निदेशक-अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से
 (iii) सचिव-अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से
 (iv) “विभागीय अभ्यर्थी”

प्राधिकरण के सभी ऐसे कर्मचारी जो प्रोन्नति के लिए विचाराधीन अभ्यर्थी है;

- (v) “विभागीय प्रोन्नति समिति” या “डी पी सी” से उन कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए जिन्होंने अपेक्षित वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और प्रोन्नति के लिए अन्यथा पात्र हैं, मामलों पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है। डी.पी. सी का गठन अनुसूची में प्रत्येक पद के स्तंभ 14 में इंगित रूप में होगा।

“प्रतिनियुक्ति” से केंद्रीय / राज्य सरकारों / पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों / स्वशासी निकायों के कर्मचारियों की सेवाएं उधार लेना अभिप्रेत है;

- (vi) “सीधी भर्ती” से नियोजन कार्यालय से अभ्यर्थियों की मांग करके / विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके / प्राधिकरण के पात्र कर्मचारियों से आवेदन स्वीकार करके भर्ती अभिप्रेत है:

परंतु जहां कहीं अध्यक्ष द्वारा भर्ती प्रक्रिया के भाग के रूप में आवश्यक समझा जाए, वहां लिखित परीक्षा विहित की जा सकेगी। प्राधिकरण के कर्मचारियों को, यदि भर्ती किए जाते हैं तो भर्ती के प्रयोजनों के लिए सीधे भर्ती किए गए कर्मचारी समझा जाएगा और वे पिछली सेवा की गणना करने के संबंध में केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा शासित होंगे।

- (vii) “कर्मचारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियमित पद धारण कर रहा है और संलग्न अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट कोई भी पद धारण कर रहा है।
 (viii) “सरकार” से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;
 (ix) “वेतन” से मूल नियम और पूरक नियम में यथापरिभाषित वेतन अभिप्रेत है;
 (x) “अनुसूची” से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;
 (xi) “सेवा” से प्राधिकरण में सेवा अभिप्रेत है;
 (xii) “विनियम” अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;
 (xiii) “नियम” से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम 1986 एवं किसी प्रकार का अन्य नियम जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए से अभिप्रेत हैं;

4 लागू होना

ये विनियम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसूची में स्तंभ 1 में वर्णित प्राधिकरण के सभी पदों को लागू होंगे।

5 वेतनमान, अर्हताएं, भर्ती का तरीका

सेवा में विभिन्न पदों के वेतनमान, उक्त पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं और भर्ती का तरीका वह होगा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।

6 कतिपय प्रवर्गों के व्यक्तियों की बाबत आरक्षण, शिथिलता आदि

इन विनियमों की कोई बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में शिथिलताओं और अन्वय रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

7 नियुक्ति करने की शक्ति:

- (1) अध्यक्ष, निदेशक और सचिव के सिवाय सभी नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी।
- (2) अध्यक्ष अतिआवश्यक मामलों में और कार्य की अत्यावश्यकता को पूरा करने के लिए किसी रिक्ति में, चयन समिति द्वारा चयन किए बिना, तदर्थ नियुक्तियां करने के लिए सशक्त होगा यदि ऐसी रिक्ति ऐसे पद में है जिसका वेतनमान ऐसा है जिसका ग्रेड वेतन रु 7600/- प्रति माह से अधिक नहीं है और ऐसी नियुक्तियां एक समय में नब्बे दिन से अधिक अवधि के लिए या कुल मिलाकर एक वर्ष के लिए अथवा उस समय तक के लिए होगी जब ऐसे पद पर नियुक्त या प्रोन्नति इन नियमों के अनुसार कर दी जाती है, जो भी पूर्वतर हों।

8 शिथिलीकरण

जहां अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किस जाएंगे, समूह घ, ग, और ख प्रवर्ग के पदों पर व्यक्तियों की बाबत इन नियमों के उपबंधों में से किसी में छूट दे सकेगा। तथापि, समूह क के पदों के लिए इन नियमों के उपबंधों में कोई भी छूट सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही जाएगी।

9. अयोग्यता

कोई भी व्यक्ति

क. जो एक पति या पत्नी के जीवित होने के साथ, एक व्यक्ति के साथ शादी के अनुबंध में प्रवेश किया है।

ख. जो एक पति या पत्नी के जीवित होने पर किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अनुबंध में प्रवेश किया है, किसी भी पदों की नियुक्ति के पात्र होंगे यदि केंद्रीय सरकार द्वारा किया जा सकता है, अगर संतुष्ट है कि इस तरह की शादी, ऐसे व्यक्ति अन्वय पार्टी के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमति दी जाती है और इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को मुक्त करने के लिए अन्य कारण उपलब्ध हो।

ग. जो किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए देश के कानून के किसी न्यायालय द्वारा दंडित हो जो अन्यथा नियमों के तहत किसी भी सरकारी सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिए रोक लिया गया हो।

10. व्याख्या

प्रस्तावित - यदि इन नियमों के व्याख्या हेतु किसी प्रकार के प्रश्न उठते हैं, यह केन्द्र सरकार को फैसले के लिए भेजा जाएगा।

11. निरसन

प्रस्तावित - कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भर्ती नियम, 2001, जी एस पी - 119 के तहत दिनांक 04.08.2001 को अधिसूचित, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

अनुसूची
पद - 1

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा (पेंशन) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
निदेशक	1	समूह 'क'	रु. 37400-67000 ग्रेड वेतन रु. 8700	चयन पद	50 वर्ष से कम	लागू नहीं	आवश्यक: 1. विज्ञान, वाणिज्य या व्यावसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री 2. वरिष्ठ कार्यकारी स्तर पर कम से कम 15 वर्षों का अनुभव जिसमें से कम से कम दस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विकास के क्षेत्र में विशेषतः कृषि संबंधी क्षेत्रों में अनुभव 3. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 4. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान वांछनीय: डेयरी विज्ञान, मांस विज्ञान, व्यापार/बाजार विकास एवं प्रबंधन में डिग्री या डिप्लोमा।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद - 1

सौधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आगु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रखितता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	10 एक वर्ष	11 प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 7600 ग्रेड बतन सहित कम से कम 7 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	12 सचिव/महाप्रबंधक के पद पर कम से कम 7 वर्षों का नियमित अनुभव ।	13 लागू नहीं	14 1. संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो ईपी (एपी) विभाग का कार्यभार संभाल रहे हों एवं इस समिति के अध्यक्ष हों 2. अध्यक्ष, एपीडा 3. प्राधिकरण के दो सदस्य 4. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पद-2

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
महाप्रबंधक	03	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 7600	चयन पद	50 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> कृषि, विज्ञान, वाणिज्य या व्यावसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय इत्यादि में वरिष्ठ प्रबंधकीय स्तर के नियमित पद पर कम से कम 7 वर्षों का अनुभव विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> खाद्य, डेयरी विज्ञान, मांस विज्ञान, बागवानी, बाजार अनुसंधान एवं प्रबंधन एवं पैकेजिंग में डिग्री या डिप्लोमा, सीए/आई. सी.डब्ल्यू.ए/सी एस संस्था में सदस्यता कृषि उपजों एवं उसके उत्पादों का ज्ञान आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदाज और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए तय की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद - 2

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा</p>	<p>भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रस्तुतता</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>
<p>9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों।</p>	<p>10 एक वर्ष</p>	<p>11 प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) सम्बन्धित पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में रु 6600 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।</p>	<p>12 उप महाप्रबंधक के पद पर कम से कम 7 वर्षों का नियमित अनुभव।</p>	<p>13 लागू नहीं</p>	<p>14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के बोर्ड के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीआ 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -2 (क)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सौधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सौधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
महाप्रबंधक (आई पी आर डब्ल्यू टी ओ, अवसंरचना)	01	समूह 'क'	रु. 15600-38100 ग्रेड वेतन रु. 7600	चयन पद	50 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 2. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 3. कृषि विज्ञान एवं अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित कार्य में 15 वर्षों का अनुभव जिनमें से 7 वर्ष का अनुभव ट्रेड मार्को, पेटेंटो एवं भौगोलिक संकेतो (पी आई) इत्यादि में कानूनी पंजीकरण में अनुभव । <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि विज्ञान एवं उसके उत्पादों का ज्ञान 2. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान 3. आई पी आर/डब्ल्यू टी ओ संबंधी विषयों का ज्ञान 4. कम्प्यूटिंग में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदाज़न और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया ।

पद - 2 (क)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवर्द्धा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	10 एक वर्ष	11 सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 6600 ग्रेड वेतन सहित पदाधिकारी जिनको संबंधित क्षेत्र में नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो। टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीव्यय प्रतिनियुक्ति के फत्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	12 लागू नहीं	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के बोर्ड के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीड 5. सचिव /प्रभारी महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन), एपीड 6. केन्द्रीय सरकार के उपर्युक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -3

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सचिव	01	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 7600	चयन पद	50 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री 2. केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों में इस्से एक स्तर न्यून पद पर प्रशासन/लेखा/वित्त/कानूनी एवं बाजार संबंधी मामलों पर कार्य करते हुए नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव । <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की सदस्यता 2. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 3. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान 4. कानून में डिग्री

आयु सीमा अक्वसिति करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लकादीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी ।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अक्वसिति करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद -3

सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीका की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रत्येकता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति/ठंका के लिये हों।	10 एक वर्ष	11 प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) सम्बुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 6800 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	12 उप महाप्रबंधक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव।	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपनिदेशक वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीड 5. केंद्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची

पद -4

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1 उप महाप्रबंधक	2 07	3 समूह 'क'	4 रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 6600	5 चयन पद	6 45 वर्ष से अधिक न हो	7 लागू नहीं	8 आवश्यक: 1. कृषि, विज्ञान, वाणिज्य या व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री 2. केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय इत्यादि में वरिष्ठ प्रबंधकीय स्तर के नियमित पद पर कम से कम 5 वर्षों का अनुभव 3. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 4. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान आवश्यक: 1. खाद्य डेबरी विज्ञान/पास विज्ञान, बागवानी, कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन एवं मैकेनिज में डिग्री या डिप्लोमा, सीए/आईसीडब्ल्यू/सीएस संस्था में सतृप्तता 2. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 3. कृषि उपलों एवं उसके उत्पादों का ज्ञान 3. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अवमान और निकोबार द्वीप और लकादीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -4

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं</p>	<p>परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा</p>	<p>भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रविष्टता</p>	<p>सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति सम्मिति है, तो उसकी संरचना</p>
<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।</p>	<p>एक वर्ष</p>	<p>5 पद प्रोन्नति द्वारा 2 पद सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति क) सम्बुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 5400 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।</p>	<p>सहायक महाप्रबंधक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव ।</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>1. सम्मिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीआ 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

प्रतिनियुक्ति की आरम्भिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पद -4 (क)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
उप महाप्रबंधक (आई पी आर डेब्यू टी ओ. टी. बी. टी)	01	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 6600	चयन पद	45 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 2. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 3. कृषि विज्ञान के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव जिनसे से 5 वर्षों का अनुभव ट्रेड मार्को, पेटन्टो एवं भौगोलिक संकेतो (जी आई) इत्यादि में कानूनी पंजीकरण इत्यादि में हो। 4. कम्प्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि विज्ञान एवं उसके उत्पादों का ज्ञान 2. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान 3. आईपीआर/डब्ल्यूटीओ/टी.बी.टी संबंधी विषयों का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थायियों (अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अस्थायियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -4 (क)

सिधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रखितता	सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	10 एक वर्ष	11 सिधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 5400 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	12 लागू नहीं	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीआ 5. केंद्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -4 (ख)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
उप महाप्रबंधक (जैविक)	01	समूह 'क'	₹. 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹. 6600	चयन पद	45 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कृषि/विज्ञान/ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा 2. कृषि/बागवानी/जैविक/ग्रामीण प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रबंधन स्नातकोत्तर डिग्री 3. इससे एक स्तर न्यून पद पर केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव। 4. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 5. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान वांछनीय: 1. खाद्य डेयरी विज्ञान, मांस विज्ञान, बागवानी, बाजार अनुसंधान एवं प्रबंधन एवं पैकेजिंग में डिग्री या डिप्लोमा

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थिरियों (अंदाज और निकोबार दीप और लक्षदीप के अस्थिरियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -4 (ख)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीधा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिलता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में रु 5400 ग्रेड वेतन सहित नियुक्ति सेब में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	लागू नहीं	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीडा 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आर्थिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पद -5

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक	09	समूह 'क'	₹. 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. कृषि/विज्ञान/वाणिज्य/व्यावसाय प्रबंधन/प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री 2. केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संगठनों इत्यादि में पर्यवेक्षी स्तर के नियमित पद पर कम से कम 7 वर्षों का अनुभव 3. आयात-निर्यात नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 4. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान वांछनीय: 1. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 2. कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 3. खाद्य डेयरी विज्ञान/मांस विज्ञान, बागवानी, बाजार अनुसंधान एवं प्रबंधन एवं फैकोजिंग में डिग्री या डिप्लोमा, सीए/आईसीडब्ल्यू/सीएस संस्था में सदस्यता 4. कंपनी सेक्रेटरीशिप में डिग्री या डिप्लोमा

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद - 5

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	प्रोन्नति में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	एक वर्ष	8 पद पदोन्नति द्वारा 1 पद सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 4800 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 3 वर्षों का अनुभव एवं रु 4600 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव एवं रुपये 4200 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	1. लेखा प्रबंधक एवं अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव के पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव एवं फील्ड अधिकारी, वरीष्ठ कार्यलय कार्यपालक, लेखापाल, कार्यपालक अधिकारी (ईडीपी) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कम से कम 8 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीडा 5. केंद्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

उपरोक्त कॉलम 12 की टिप्पणी: इस पद पर पदोन्नति पर अथवा पदोन्नति से पहले एपीडा के मुख्यालय के अतिरिक्त बाहर के किसी भी एपीडा के कार्यालय में कम से कम 1 वर्ष के वास्तविक कार्य अनुभव के लिए एपीडा द्वारा कार्यकारी निर्देश जारी किया जाएगा ।

**अनुसूची
पद -5 (क)**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अद्ययन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक बागवानी (जैविक)	01	समूह 'क'	₹. 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. कृषि/बागवानी/व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री (संबंधित क्षेत्र में कृषि/बागवानी/ जैविक एवं प्राचीण प्रबंधन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से) एवं संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव । 2. पर्यवेक्षक के स्तर पर नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संगठनों में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव । वांछनीय: 1. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 2. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद-5 (क)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आगु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रखितता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	एक वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति</p> <p>क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा</p> <p>ख) संबंधित क्षेत्र में रु 5400 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।</p>	लागू नहीं	लागू नहीं	<p>1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष</p> <p>2. प्राधिकरण के दो सदस्य</p> <p>3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय</p> <p>4. निदेशक, एसीडा</p> <p>5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पद -5 (ख)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (शैशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक (पशुपालन एवं पशुचिकित्सा)	01	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा/कृषि (पशुपालन सहित विषय में) में स्नातकोत्तर डिग्री एवं संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव। अथवा 2. पशुचिकित्सा में स्नातक डिग्री एवं नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संस्था में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव। वांछनीय: 1. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 2. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।
 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -5 (ख)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीका की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतितता	सब लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	एक वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति</p> <p>क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा</p> <p>ख) संबंधित क्षेत्र में रु 4800 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।</p>	लागू नहीं	लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीडा 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पद-5 (ग)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक (खाद्य प्रौद्योगिकी)	01	समूह 'क'	₹. 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लापू नहीं	आवश्यक: 1. खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री एवं संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव/नियमित सेवा। अथवा 2. खाद्य प्रौद्योगिकी के विषय में बी. टेक स्नातक डिग्री एवं नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संस्था में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव। वांछनीय: 1. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 2. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थिरता (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षद्वीप के अस्थिरता से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, अनुसूचीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कक्षा गया है।

धारा 5 (ग)

<p>सीधे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आनु और शौभिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होती या नहीं</p>	<p>9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं ।</p>	<p>10 एक वर्ष</p>	<p>11 सीधी मर्ती द्वारा बिकरके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्वाक-पारण प्रतिनियुक्ति क) लागू होने पर के बरतित अवकाश ख) संश्लिष्ट क्षेत्र में रु 40000 से अधिक वार्षिक वेतन से कम 5 वर्षों का अनुभव ग) प्रोन्नति के प्रस्ताव देने में सम्बन्धित प्रतिनियुक्ति के लिये के लिये नहीं होंगे ।</p>	<p>12 लागू नहीं</p>	<p>13 लागू नहीं</p>	<p>14 1. समिति का अध्यक्ष-उपस्य 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/प्रशासित अधिकारी नियुक्त एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एसीआ 5. क्षेत्रीय सचिव के अतिरिक्त प्रमर्ण के अनुकूल सार के अधिकारी</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति सम्बन्धि है तो उसकी संरचना</p>			
<p>यदि मर्ती की अवधि यदि कोई हो</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्वाक-पारण मर्ती की दशा में वे शौभिकों के लिये</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्वाक-पारण किया जाएगा</p>	<p>मर्ती की प्रतिक्रिया द्वारा परे जाने वाले एवों की प्रतिक्रिया</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श</p>	<p>9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं ।</p>	<p>10 एक वर्ष</p>	<p>11 सीधी मर्ती द्वारा बिकरके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्वाक-पारण प्रतिनियुक्ति क) लागू होने पर के बरतित अवकाश ख) संश्लिष्ट क्षेत्र में रु 40000 से अधिक वार्षिक वेतन से कम 5 वर्षों का अनुभव ग) प्रोन्नति के प्रस्ताव देने में सम्बन्धित प्रतिनियुक्ति के लिये के लिये नहीं होंगे ।</p>	<p>12 लागू नहीं</p>	<p>13 लागू नहीं</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति सम्बन्धि है तो उसकी संरचना</p>

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुछ अवधि सम्बन्धित क्षेत्र में से अधिक नहीं होगी ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक (वनस्पति विकृति विज्ञान)	01	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री एवं वनस्पति विकृति विज्ञान विषय में विशेषज्ञता सहित। अथवा प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से कृषि, बागवानी एवं ग्रामीण प्रबंधन में व्यावसायिक प्रबंधन स्नातकोत्तर डिग्री। नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संस्था में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव। <p>बोझनीक:</p> <ol style="list-style-type: none"> विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदाज और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

खण्ड-5 (घ)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवर्द्धा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों।	एक वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति</p> <p>क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा</p> <p>ख) संबंधित क्षेत्र में रु 48000 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रस्ताव क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।</p>	लागू नहीं	लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> 1. समिति का अध्यक्ष-आयुक्त 2. अध्यक्ष के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव कनिष्ठ विभाग, कनिष्ठ एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एबीआ 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद-5 (ड)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक (विपणन विस्तार)	01	समूह 'क'	र. 15600-39100 ग्रेड वेतन रू. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. एमबीए/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संस्था में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव। बैकरीय: 1. विपणन निकाय/ विस्तार के क्षेत्र में व्यापक प्रबंधन स्नातकोत्तर डिग्री 2. संबंधित क्षेत्र में आई आई एफ टी से डिग्री या डिप्लोमा 3. निरंतर व्यवहार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 4. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अर्हताएँ करने के लिए निर्णायक तारीख मास्त में अर्हताओं (अंदाजान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अर्हताओं से गिन) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यलयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अर्हताएँ करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यलयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पट्टा-5 (ड)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रवृत्तता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनिधित्व के लिये हैं ।	एक वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनिधित्व/स्थानांतरण प्रतिनिधित्व</p> <p>क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अबतक</p> <p>ख) संबंधित क्षेत्र में रु 4800 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आवेगले अधिकारीगण प्रतिनिधित्व के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।</p>	लागू नहीं	लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीएम 5. केन्द्रीय सरकार के आवंटित प्रथम के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनिधित्व की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनिधित्व की कुल अवधि सातवर्षीय तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
मख-6 (ब)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अधयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक (आई पी आर/डब्ल्यू टी ओ/टीबीटी)	01	समूह 'क'	₹. 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 2. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 3. कृषि विज्ञान के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव जिनमें से 5 वर्षों का अनुभव ट्रेड मार्का, पेटेंटों एवं भौगोलिक संकेतों (जी आई) इत्यादि में कानूनी पंजीकरण इत्यादि में हो। 4. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि उत्पाद एवं उसके उत्पादों का ज्ञान 2. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदाज और निकोबार दीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -5 (ब)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा करे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	10 एक वर्ष	11 सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति क) समस्त पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में रु 4800 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	12 लागू नहीं	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसंचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीआ 5. केंद्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
ख-5 (क)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	केतनमान	व्ययन पर अवकाश अवयव पर	सीधे यती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनुसूचित सेवा (विचन) नियम 1972 के नियम 30 के तहत अनुदेश है या नहीं	सीधे यती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनुसूचित शैक्षिक और अन्य वर्गों पर
1	2	3	4	5	7	8
सहायक महाप्रबंधक (कीट-विज्ञान)	01	एफ 6	रु. 15500-39100 ग्रेड वेतन रु. 5400	व्ययन पर	लागू नहीं	<p>आवश्यकता:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राथमिकीयन में स्नातकोत्तर शैली एवं कीट-विज्ञान विषय में विशेषज्ञता सहित 2. नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/राज्य/राजस्थान/मिजी संस्था में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव <p>नोट:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विशेष आवार यति एवं प्रतिक्रिया का पूर्ण ज्ञान 2. कर्तव्य में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवकाश करने के लिए निर्धारित करीब 55 वर्षों (व्ययन और विशेषज्ञता की आवश्यकता से निर्धारित) से अधिक प्राप्त करने के लिए निकलती गई व्यक्तिगत तारीख होगी। विशेषज्ञता के लिए आवश्यकता करने के लिए निर्धारित तारीख तक अवकाश करीब 55 वर्षों के लिए आवश्यकता करने के लिए निर्धारित तारीख होगी। विशेषज्ञता के लिए आवश्यकता करने के लिए निर्धारित तारीख तक अवकाश करीब 55 वर्षों के लिए आवश्यकता करने के लिए निर्धारित तारीख होगी।

पट्ट -5 (क)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए रिहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतितता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	10 एक वर्ष	11 सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में रु 4800 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	12 लागू नहीं	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीड 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आयुषी
पद -6

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	व्ययन पद अथवा अद्ययन पद	सिधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सिधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
लेखा प्रबंधक	01	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4600	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	तागू नहीं	<p>आवश्यकः वाणिज्य में लेखाशास्त्र, गणित एवं मध्यवर्ती सीए/आईसीडब्ल्यू/सीएस सहित स्नातक डिग्री एवं लेखाशास्त्र में 3 वर्षों का अनुभव अथवा लेखा के एसएस परीक्षा में उत्तीर्ण हो और सरकारी लेखा प्रबंधन में 3 वर्षों का अनुभव अथवा लेखा परीक्षा/लेखाशास्त्र/सरकारी लेखे में 7 वर्षों के अनुभव सहित वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री</p>

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद - 6

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिधीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रखितता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में रु 4200 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	लागू नहीं	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि 3. निदेशक, एपीड 4. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीड 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पद -7

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वर्तमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव	01	समूह 'ख'	₹. 9300-34800 ग्रेड वेतन ₹. 4600	चयन पद	35 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <p>(1) प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से विज्ञान/कला/वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री ।</p> <p>(2) पब्लिक सेक्टर उपक्रम या ख्याति प्राप्त किसी निजी कंपनी के मुख्य कार्यपालक/वरिष्ठ कार्यपालक के निजी सचिव के रूप में तत्समान स्तर पर कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव एवं आभुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट</p> <p>(3) अंग्रेजी में अच्छी प्रवीणता रखता हो और विस्तार से नेमी पत्राचार को संभालने में समर्थ होना चाहिए ।</p> <p>बांछनीय</p> <p>तदनुसृत स्तर पर कम से कम 7 वर्षों का अनुभव</p>

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अवमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद - 7

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रकृतिता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों।	10 एक वर्ष	11 100% प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समस्तुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में रु 4200 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	12 वरिष्ठ वैयक्तिक कार्यपालक/अध्यक्ष के वरिष्ठ वैयक्तिक कार्यपालक के पद पर कम से कम 5 वर्षों की नियमित सेवा	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि 3. निदेशक, एपीआ 4. सचिव, एपीआ 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद - 8

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	चयन पद अथवा अवयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
लेखापाल	03	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वैतन रु. 4200	चयन पद	30 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. वाणिज्य में लेखाशास्त्र, गणित सहित स्नातक डिग्री 2. लेखाशास्त्र में नियमित पद पर 5 वर्षों का अनुभव 3. कम्प्यूटरी में कार्य करने का ज्ञान वांछनीय सरकारी लेखा प्रबंधन प्रक्रियाओं का पर्याप्त अनुभव एवं लेखापरीक्षा एवं आई सी डब्ल्यू ए के सदस्य

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थायियों (अंदाज और निकोबार दीप और लक्षदीप के अस्थायियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विक्रित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	9	पारिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	11	प्रोन्नति भर्ती द्वारा मरे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	14
	10			12				13

प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	दो वर्ष	50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति (क) सम्बन्धित पदों के व्यक्ति अथवा (ख) रु. 2800 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव एवं रु. 2400 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	सहायक कार्यपालक(ईडीपी) के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव अथवा सहायक कार्यपालक/नकद कार्यपालक/वैयक्तिक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव बहाल राशिगण एवं लेखाशास्त्र में डिप्टी/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. निदेशक, एपीआ 3. राशिगण विभाग के प्रतिनिधि 4. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीआ 5. केंद्रीय सरकार के आवेक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी
---	---------	---	--	-----------	--

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची

पद - 9

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा	सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
पुस्तकालयाध्यक्ष	01	समूह 'ख'	रु. 9900-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन पद	30 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर के साथ स्नातक।

* आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अर्थार्थियों (अंदाज और निकोबार दीप और लक्षदीप के अर्थार्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद - 9

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिलिपि	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता-हैं।	दो वर्ष	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा</p> <p>ख) इससे एक स्तर न्यून पद पर कार्य करते हुए कम से कम 5 वर्षों का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।</p>	<p>(1) सहायक कार्यपालक (ईडीपी) के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव</p> <p>(2) सहायक कार्यपालक/व्यक्तिगत कार्यपालक/नकद कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव</p>	लागू नहीं	<p>1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक</p> <p>2. सचिव, एपीडा</p> <p>3. महाप्रबंधक</p> <p>4. प्रभारी समूह 'क' अधिकारी (कार्मिक व प्रशा.), एपीडा</p> <p>5. केन्द्रीय सरकार के आप्रक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

प्रतिनियुक्ति की आरम्भिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -10

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
कार्यपालक अधिकारी (ईडीपी प्रोग्रामर)	02	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन पद	30 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. विज्ञान/गणित/कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक हो। 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ख्यातिप्राप्त संस्थान से एक वर्ष के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में अल्पकालिक पाठ्यक्रम। 3. संबंधनात्मक डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करते हुए छोटी उत्पादनात्मक भाषा में प्रोग्रामिंग का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष कंप्यूटर पर हो।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थिरियों (अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अस्थिरियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पृष्ठ -10

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं</p>	<p>परिचक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा</p>	<p>प्रोन्नति भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रखिताता</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना</p>
<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>14</p>
<p>प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों।</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) इस्से एक स्तर न्यून पद पर आई टी/बाटा प्रविष्टि के क्षेत्र में कार्य करते हुए कम से कम 5 वर्षों का अनुभव। टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।</p>	<p>कार्यपालक(ईडीपी) के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव</p>	<p>1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. निदेशक, एपीडा 3. सचिव/प्रवारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीडा 4. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

प्रतिनियुक्ति की आर्थिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -11

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अधयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
	2	3	4	5	6	7	8
फील्ड अधिकारी	04	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200/-*	चयन पद	35 वर्ष से अधिक न हो	तापू नहीं	आवश्यक: 1. विज्ञान/गणित/कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. नियमित सेवा में केन्द्रीय/अर्द्ध सरकारी/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संस्था में समतुल्य कार्य एवं कार्यभार सहित कम से कम 3 वर्षों का अनुभव। 3. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान बांछनीय शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रयोग/प्रमाण पत्र सांख्यिक/कृषि विज्ञान एवं विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान

* आयु सीमा अर्थात् करने के लिए निर्धारित तारीख मध्य में अर्थात् (अंशान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अर्थात् से मिन) से आगे प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली सर्व/निर्दिष्ट की स्तर में आयुसीमा अर्थात् करने के लिए निर्धारित तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

* वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर ग्रेड वेतन रु. 4600/- परिवर्धित हो जायेगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता	संघ लोक सेवा आयोग से	यदि विभागीय प्रोन्नत समाप्त ह, तो उसकी संरचना
9 लागू नहीं	10 दो वर्ष	11 सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा कार्यालय कार्यालय के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव से	12 लागू नहीं	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. निदेशक, एपीआ 3. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीआ 4. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतियुक्ति की आर्थिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -12

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	8
वरिष्ठ कार्यालय कार्यालयक	2 04	3 समूह 'ख'	4 रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200/-	5 चयन पद	6 35 वर्ष से अधिक न हो	7 लागू नहीं	आवश्यक: 1. विज्ञान/गणित/कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. नियमित सेवा में केन्द्रीय/अर्द्ध सरकारी/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संस्था में सप्ताहव्यवस्था कार्य एवं कार्यभार सहित कम से कम 3 वर्षों का अनुभव। 3. कम्प्यूटिंग में कार्य करने का ज्ञान वांछनीय खाद्य प्रौद्योगिकी विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम/कृषि विज्ञान एवं विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान

* आयु सीमा अस्वीकारित करने के लिए निर्णायक तारीख भास्स में अर्थात् तारीख और तिकोबार थीप और ल्हादीप के अर्थात् तारीख से निम्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/प्रतियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अस्वीकारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

* वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर ग्रेड वेतन रु. 4600/- परिवर्तित हो जायेगा।